प्रस्ताव पारित | विपक्ष ने बताया अधिनियम चुनावी एजेंडा, सत्ता पक्ष ने कहा अन्याय, अपमान किया, माफी मांगों

नारी शक्ति वंदन पर गरमाया सदन, हंगामे के बीच प्रस्ताव बहुमत से पारित

19 में से 18 प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से लगी मुहर

जबलपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर शुक्रवार को सदन गरमाया रहा। बैठक हंगामेदार रही। अधिनियम को लेकर सत्ता-विपक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच हंगामा खड़ा हो गया। तीखी बहस के बीच कांग्रेस-भाजपा पार्षदों के बीच तकरार की स्थिति भी बनी। कांग्रेस पार्षदों ने अधिनियम को भाजपा का चुनाावी एजेंडा बतायाऔर कहा कि नारी शक्ति वंदन के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हो रही है। वहीं सत्तापक्ष के पार्षदों ने महिला आरक्षण को लेकर अपनी बात रखते हुए कांग्रेसियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया है। सदन में उन्होंने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग भी कर दी। कांग्रेस ने जो महिलाओं का अपमान किया है उसे महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी। आगामी चुनावों में बहनें इसका जवाब अपने मताधिकार से देंगी। भारी हंगामे के बीच ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन प्रस्ताव की पुष्टि सदन में बहुमत से की गई। यह निर्णय महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को सम्मान देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

शुक्रवार को शहर के चहुंमुखी विकास और स्वच्छता व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की अध्यक्षता में नगर निगम की साधारण सम्मिलन की बैठक में शहर के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि सदन में रखे गए 19 में से 18 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर किया गया। यह शहर के पार्षदों के बीच विकास के प्रति साझा विजन और सकारात्मक तालमेल को दर्शाता है। किसी भी बड़े विवाद के बिना इतने प्रस्तावों का पास होना शहर की प्रगति की गति को तेज करने का स्पष्ट संकेत है।

स्वच्छता की नई उड़ान, 97 करोड़ के टेंडर को हरी झंडी- शहर की सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 97 करोड़ रुपये की लागत के टेंडर को हरी झंडी दे दी गई है। महापौर ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित यह टेंडर शीघ्र ही जारी किया जाएगा। शहर में स्वच्छता के नए उपकरण और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे शहर को स्वच्छता की नई उड़ान मिलेगी।

पार्षदों का निर्णय, सुझाव शहर प्रगति के लिए अहम

महापौर अन्नू ने लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए स्पष्ट किया कि शहर के विकास में पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रस्ताव के निर्माण और क्रियान्वयन में पार्षदों की भूमिका सर्वोपरि है।

प्रत्येक पार्षद का निर्णय और सुझाव हमारे शहर की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विरासत-पहचान को सहेजने नामकरण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित

महापौर ने बताया कि विभिन्न स्थानों और मार्गों के नामकरण से संबंधित क्रमशः बिरसा मुण्डा तिराहे से महाराजपुर तक की सडक़ का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी मार्ग, पुरानी श्याम टॉकीज से शहीद स्मारक के मुख्य द्वार तक के मार्ग का नाम मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, सिविल लाइन स्थित इलाहाबाद चौक से सांई मंदिर तक के मार्ग का नाम वरिष्ठ पत्रकार काशीनाथ शर्मा, भगवान चित्रगुप्त तिराहे से नागरथ चोक तक का मार्ग जस्टिस राज कृष्ण तन्खा, जबलपुर में गढ़ा में स्थित बी.टी. तिराहे का नाम लद्यु काशी तिराहा, शताब्दीपुरम स्थित चौक का नाम आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी चौक, गढ़ा बाजार वाले मुख्य मार्ग से श्रीराम लीला मैदान की ओर जाने वाले मार्ग का नाम श्रीरामलीला मार्ग, छोटा फुहारा से सूजीपुरा मार्ग का नाम श्री चिन्तामन साहू मार्ग, श्री तारण-तरण दिगम्बर जैन चैत्यालय परिसर के सामने पी.के. कार्नर से आस्था लैब तक के मार्ग का नाम संत तारण-तरण मार्ग, महराजा अग्रसेन वार्ड स्थित काली टंकी वाला पार्क का नाम संत गाडगे महाराज के नाम से नामकरण के समस्त प्रस्तावों को पारित किया गया। यह दिखाता है कि सदन शहर की विरासत और पहचान को सहेजने के लिए भी पूरी तरह संकल्पित है।

हाईकोर्ट ने जस्टिस गुप्ता के दो निर्णयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का आदेश वापस लिया

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने ग्वालियर खंडपीठ में पदस्थ न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता के दो विवादित निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने का आदेश वापस ले लिया है। दरअसल, हाईकोर्ट के पूर्व प्रशासनिक न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने रजिस्ट्रार जनरल को दोनों आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने निर्देशित किया था। सीजे की बेंच ने स्पष्ट किया है कि अब पूरे मामले पर आंतरिक प्रक्रिया के तहत प्रशासनिक समिति विचार करेगी। उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर 2025 को प्रशासनिक न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने ग्वालियर खंडपीठ के न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता के दो आदेशों पर आपत्ति जताई थी। संज्ञान लेकर माना था कि न्यायाधीश गुप्ता द्वारा शिवपुरी के एडीशनल जज विवेक शर्मा के खिलाफ की गईं कुछ टिप्पणियां जमानत अधिकार क्षेत्र या संविधान के तहत न्यायिक शक्ति के दायरे से बाहर प्रतीत होती हैं। न्यायाधीश श्रीधरन की पीठ ने यह भी माना था कि न्यायिक अनुशासन के तहत उन आदेशों को हाईकोर्ट स्वयं नहीं छू सकता, इसलिए मामले की न्यायिक समीक्षा केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। इसी आधार पर रजिस्ट्रार जनरल को विशेष अनुमति याचिका दायर करने के निर्देश दिए गए थे। कालान्तर में न्यायमूर्ति श्रीधरन के इलाहबाद ट्रांसफर होने के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित प्रकरणों का रिकॉर्ड तलब किया और प्रिंसिपल रजिस्ट्रार विजिलेंस से रिपोर्ट भी मांगी। इसके बाद पूरा मामला हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति के समक्ष भेजा गया।

समिति प्रबंधक व सेल्समैन के कटौती आदेश पर रोक

हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश के जरिए समिति प्रबंधक व सेल्समैन के कटौती आदेश पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता बालाघाट निवासी बसंत सोनी, तामेश्वर कटारे, मनोज नागपुरे, बेकेश्वर नागपुरे व कोमल प्रसाद की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी व अभिषेक मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता सहकारी समिति, खुदसोद्दी, बालाघाट में समति प्रबंधक, सेल्समैन व लिपिक के पदों पर लगभग 20 बरसों से कार्यरत हैं। मप्र शासन द्वारा 30 मई 2013 को राजपत्र में प्रकाशन किया कि 10 वर्ष से अधिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को 1500 और 20 वर्ष से अधिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को 2500 रुपये प्रतिमाह भत्ते के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इसी अनुरूप भत्ता प्रदान किया जा रहा था। 16 नवंबर 2025 को उपायुक्त सहकारिता, बालाघाट ने प्रतिमाह मिलने वाले वेतन भत्ते पर रोक लगा दी। यही नहीं पूर्व में प्रदान की गई राशि की कटौती का भी आदेश पारित कर दिया। जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है।

25 चिकित्सकीय संस्थानों को नोटिस जारी

नवभारत,जबलपुर। जल तथा वायु प्रदुषण अधिनियमों के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति (कंसेंट टू ऑपरेट) प्राप्त किये बिना संचालित हो रहे जिले के 25 चिकित्सकीय संस्थानों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। इन सभी चिकित्सकीय संस्थानों को तीन दिन के भीतर नोटिस का जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए हैं तथा निर्धारित समयावधि में जवाब नहीं प्रस्तुत करने पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में लंबित याचिका और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के पालन में यह कारवाई की गई है।

इन संस्थानों को मिला नोटिस

जिन 25 चिकित्सकीय संस्थानों को 'कंसेंट टू ऑपरेट' प्राप्त नहीं करने की वजह से नोटिस जारी किया गया है, उनमें विराट नेत्रालय, ब्लू स्काई मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, नोबेल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, सनराइज हॉस्पिटल, नारायण हेल्थ केयर, साई मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, छवि आई हॉस्पिटल, श्री राम हॉस्पिटल, डॉ मकसूदा अंसारी मेमोरियल हॉस्पिटल, परम्भा नेत्रालय, शिव सागर हॉस्पिटल, महावीर मल्टीस्पेशलिटी एंड कैंसर हॉस्पिटल, गजकेसरी हॉस्पिटल, अमृतसिटी हॉस्पिटल, सिहोरा हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल, प्राइम हेल्थ केअर, गोलछा आर्थो केयर हॉस्पिटल, शिव नेत्रालय, विजयश्री मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आइडियल फर्टिलिटी एंड आईवीएफ जेनेटिक सेंटर, देवश्री मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, संकल्प मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं विजया मेमोरियल हॉस्पिटल शामिल हैं।

अयोध्या कैंट से मुंबई के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस

जबलपुर, नवभारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 अप्रैल को जबलपुर शहर से जुड़े रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश की अत्याधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन अयोध्या कैंट से संचालित होगी जो पश्चिम मध्य रेलवे से होकर मुंबई तक चलेगी। नई अमृत भारत ट्रेन के चलने से जबलपुर जैसे कई महत्वपूर्ण औद्योगिक और धार्मिक शहरों को सीधे यूपी और महाराष्ट्र से कनेक्टिविटी मिलेगी। सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या कैंट से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच चलने वाली अमृत भारत ट्रेन जबलपुर और इटारसी से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान यह गाड़ी प्रयागराज, मानिकपुर, सतना, जबलपुर और इटारसी होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। यह गाड़ी भुसावल, जलगांव और नासिक होते हुए मुंबई (एलटीटी) तक जाएगी। इस ट्रेन के शुरू होने से जबलपुर और सतना के यात्रियों को अयोध्या और मुंबई के लिए एक तेज विकल्प मिलेगा।

ट्रैक नवीनीकरण को मिली रफ्तार, रेल संरक्षा हुई और मजबूत

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेल द्वारा मल्टी-ट्रैकिंग एवं अधोसंरचना विकास कार्यों के साथ-साथ अनुरक्षण गतिविधियों के अंतर्गत ट्रैक पर विभिन्न रिन्यूअल कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से ट्रैक अनुरक्षण क्षेत्र में सभी नवीनीकरण कार्यों को प्राथमिकता एवं गति के साथ निष्पादित किया जा रहा है। ट्रैक नवीनीकरण के इन कार्यों में सी.टी.आर. (कम्पलीट ट्रैक रिन्यूअल), टी.आर.आर. , टी.एस.आर. (स्लीपर रिन्यूअल), टी.टी.आर. एवं डीप स्क्रीनिंग जैसे प्रमुख कार्य शामिल हैं।

उच्च दक्षता के साथ पूरे किए जाते है कार्य

उल्लेखनीय है कि ट्रैक नवीनीकरण से संबद्ध समस्त कार्य संरक्षा से जुड़े हुए हैं एवं ट्रैफिक ब्लॉक लेकर ही इनका निष्पादन किया जाता है। पश्चिम मध्य रेल द्वारा इन कार्यों को उच्च दक्षता एवं संरक्षा मानकों के साथ पूरा किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) के दौरान अनुरक्षण कार्यों के अंतर्गत 494.50 ट्रैक किलोमीटर रेल नवीनीकरण (टी.आर.आर.), 387.24 ट्रैक किलोमीटर स्लीपर नवीनीकरण (टी.एस.आर.), 615.50 इकाइयाँ टर्नआउट नवीनीकरण (टी.टी.आर.), 514 इकाइयाँ टर्नआउट डीप स्क्रीनिंग तथा 790.12 ट्रैक किलोमीटर में प्लेन ट्रैक डीप स्क्रीनिंग कार्य निष्पादित किया गया है।

स्कूल बसों में मिली खामियां, संचालन पर लगी रोक

आरटीओ की कार्यवाही में स्कूल बसों की लापरवाही उजागर

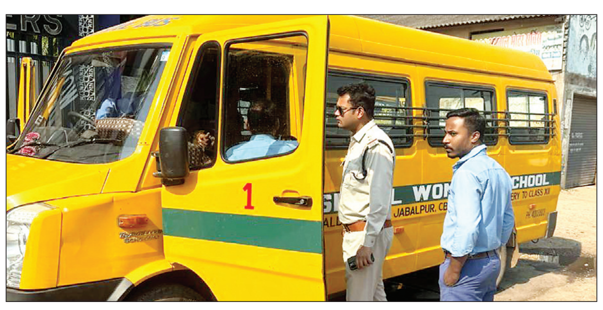

नवभारत,जबलपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर की स्कूल बसों की जांच की, जिसमें खामियां मिलने और दस्तावेज पूर्ण ना होने पर बसों के संचालन पर रोक लगाई गई। जानकारी के अनुसार परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के निर्देश पर और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रिंकू शर्मा के नेतृत्व में उड़नदस्ता टीम ने विभिन्न स्कूलों की बसों की व्यापक जांच की, जांच के दौरान दमोह नाका स्थित सेंट वेंडर किड्स जोन स्कूल, वर्धमान और आदित्य कॉन्वेंट स्कूल सहित कई संस्थानों की बसों में फिटनेस, परमिट, पीयूसी, फर्स्ट एड बॉक्स और पैनिक बटन जैसी जरूरी सुविधाओं की कमी पाई गई। कुछ वाहनों पर स्कूल का नाम और संपर्क नंबर तक दर्ज नहीं था। आरटीओ ने संबंधित स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी खामियां दूर होने तक बसों का संचालन पूरी तरह बंद रखा जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

ये रहे मौजूद

इस कार्रवाई में प्रभारी राजेंद्र साहू, उप निरीक्षक अक्षय पटेल, परिवहन आरक्षक इम्तियाज हुसैन, पीयूष मरावी, आशुतोष मोघे, उमाशंकर उपाध्याय, अशोक खार्पडे, निमिषा तिवारी सहित पूरी टीम मौजूद रही।

प्रतिबंध के बावजूद मिले एलपीजी वाहन

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर के 23 फरवरी 2026 के आदेश के अनुसार एलपीजी वाहनों से बच्चों के परिवहन पर प्रतिबंध है, फिर भी कुछ वाहन नियमों की अनदेखी करते पाए गए। जिन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की गई। प्रशासन ने अभिभावकों से कहा है कि वे केवल सुरक्षित और मानक अनुसार वाहनों से ही बच्चों को स्कूल भेजें।

मार्तण्ड हुए प्रचंड, पारा 42 डिग्री : लू के थपेड़ों से लोग बेहाल

जबलपुर। शुक्रवार को गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। पारा सीधे 42 डिग्री पर पहुंच गया । प्रचंड मार्तण्ड की तपिश और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हुए। सुबह से ही गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया था। दिनभर झुलसाने वाली गर्म हवाओं ने आग में घी डाला। राहगीर और दोपहिया वाहन चालक गर्मी से बचने के लिए सिर और चेहरे को कपड़े से ढके नजर आए। सूरज की तीखी किरणों के सामने लोगों के पसीने छूट गए और झुलसा देने वाली गर्मी ने हर किसी को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग की मानें तो एक ट्रफ, पूर्वी उत्तर प्रदेश से दक्षिण बांग्लादेश तक, बिहार, झारखंड एवं गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर से गुजरते हुए लगभग माध्य समुद्र तल से 0 .9 किमी की ऊँचाई पर विस्तृत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में सक्रिय एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण उपरोक्त ट्रफ में विलीन हो गया है। उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, माध्य समुद्र तल से 12 .6 किमी की ऊँचाई पर 148-167 किमी घंटा की गति से पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी भारत के ऊपर सक्रिय है। एक प्रतिचक्रवाती परिसंचरण, महाराष्ट्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों पर माध्य समुद्र तल से 3 .1 से 5 .8 किमी की ऊँचाई के बीच सक्रिय है।

ऐसा रहा तापमान

शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। नयूनतम तापमान 23 .2 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 23 और शाम को 16 प्रतिशत दर्ज की गई। पश्चिमी हवाएं 4 से 5 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली।

29 तक चढ़ा रहेगा पारा, बारिश के आसार

मौसम विभाग की माने तो आने वाले 25-29 अप्रैल तक जिले में दिन का पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस एवं रात का तापमान 23 से 24 डिग्री रहने की संभावना है, जिस कारण दिन में लू भी चल सकती है। 29 से 30 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की संभावना है।

सिहोरा समपार फाटक को बंद करने का प्रस्ताव स्थगित

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर मंडल अंतर्गत सिहोरा यार्ड स्थित समपार फाटक क्रमांक 336 (कि.मी. 1029/22-24) को सड़क यातायात हेतु स्थायी रूप से बंद करने के संबंध में पूर्व में प्रस्तावित कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में प्राप्त निर्देशों के अनुसार, समपार फाटक क्रमांक 336 को बंद करने का प्रस्ताव अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। उक्त फाटक पर वर्तमान व्यवस्था यथावत बनी रहेगी और आमजन पूर्व की भांति इसका उपयोग कर सकेंगे।

स्टेशन सुपरिटेंडेंट अब कहलाएंगे स्टेशन मैनेजर

जबलपुर, नवभारत। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर स्टेशनों के प्रबंधन की कमान संभालने वाले अधिकारियों के पदनाम अब बदल दिए गए हैं। अब स्टेशन सुपरिटेंडेंट को स्टेशन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। रेलवे बोर्ड ने बुधवार 22 अप्रैल को ये आदेश पश्चिम मध्य रेलवे सहित सभी जोनों को भेजते हुए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस आदेश में 4600 पे-ग्रेड पर कार्यरत स्टेशन सुपरिटेंडेंट, डिप्टी स्टेशन मैनेजर और 4800 पे-ग्रेड वाले स्टेशन सुपरिटेंडेंट अब स्टेशन मैनेजर कहलाएंगे। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नाम बदलने से उनके वेतन, पद की श्रेणी, वरिष्ठता या पदोन्नति के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। उनकी कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियां पहले की तरह ही रहेंगी, केवल पद का नाम आधुनिक और प्रबंधकीय बनाया गया है।

ये होगी जिम्मेदारी

स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, भीड़ का प्रबंधन करना, आपातकालीन स्थिति में त्वरित निर्णय लेना, स्टेशन पर कर्मचारियों में समन्वय, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, ट्रेनों का सही समय पर स्टेशन आना-जाना, ट्रेन का रिकार्ड रखना, ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान का समय दर्ज करना और महत्वपूर्ण पत्राचार का प्रबंधन करना भी उनके दैनिक कार्यों का हिस्सा है।

दौड़ी खुशी की लहर

रेलवे के इस निर्णय का स्टेशन मास्टरों और संबंधित स्टाफ ने स्वागत किया है। कर्मचारियों का मानना है कि स्टेशन मैनेजर पदनाम सुनने में अधिक सम्मानजनक और आधुनिक लगता है, जो आज के कॉर्पोरेट और प्रबंधकीय दौर के अनुकूल है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57